

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पदनाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	रेणू	सहायक विधि परामर्शी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, हनुमानगढ़	सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा-2024
2.	ऋचा झंवर	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2025
3.	दीपिका गुर्जर	कनिष्ठ विधि अधिकारी अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर	सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2025

शर्त:-

- उक्त पद पर चयन होने पर ये नियमानुसार कार्यमुक्त होकर जायेंगे।
- चयन उपरान्त नवीन पद पर पदभार ग्रहण करने की स्थिति में नियमानुसार ही ग्रहणाधिकार रखा जायेगा।
- परीक्षा तिथि के अतिरिक्त तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित अधिकारी-यदि परीक्षा के अतिरिक्त कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो वे अपने कार्य का प्रबन्ध स्वयं करेंगे।
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव